विषय:- संचार प्रतिनिधियों के लिये दुर्घटना एवं स्वास्थ्य समूह बीमा योजना ।

...........0..........

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना लागू की गई है। इसमें पत्रकारों के लिये रूपये 2 और 4 लाख का स्वास्थ्य एवं 5 और 10 लाख का दुर्घटना बीमा किया जाना है । पत्रकारों के साथ ही उनकी पत्नि, बच्चे और माता-पिता का भी बीमा होना है । वर्ष 2019-20 में 2900 पत्रकारों द्वारा योजना का लाभ लिया गया । वर्ष 2020-21 में 3000 पत्रकारों के शामिल होने की संभावना है । इस योजना में 20 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु के पत्रकार शामिल होंगे ।

योजना में प्रीमियम राशि का 25 प्रतिशत पत्रकारों द्वारा और 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा भुगतान किया जाता है । 60 वर्ष से अधिक के उम्र के पत्रकारों द्वारा 15 प्रतिशत एवं राज्य शासन द्वारा 85 प्रतिशत दिया जाता है ।

कृपया पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के लिये कोरोना सहित समस्त बीमारियों को शामिल करते हुए अपने प्रीमियम दर संपूर्ण विवरण के साथ 25 अगस्त 2020 तक प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

प्रस्ताव संलग्न प्रारूप में भेजने का कष्ट करें । पत्रकार का प्रीमियम अलग और योजना में शामिल परिवारजनों का आयुवार प्रीमियम की राशि का उल्लेख अवश्य किया जाये । विस्तृत जानकारी जनसंपर्क संचालनालय की अधिमान्यता शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

संलग्न : प्रीमियम चार्ट .

बीमा राशि रूपये 4,00,000/- स्वास्थ्य बीमा एवं रूपये 10,00,000/-व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चार्ट (@ 18% जी एस टी.)													
क्र.	आयु	मूल प्रीमियम स्वाथ्य बीमा बीमित राशि रू 400000 हेतु	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमित राशि रू 1000000 हेतु	कुल प्रीमियम स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (केवल पत्रकारों हेतु)	25% प्रीमियम पत्रकार की ओर से	75% प्रीमियम और सरकार की ओर से बीमा कंपनी द्वारा बढ़ाया गया प्रीमियम दिया जायेगा	स्वयं	स्वयं पति/पत्नि	स्वयं पति/पत्नि + एक बच्चा	स्वयं पति/पत्नि + दो बच्चे	स्वयं पति/पत्नि तीन + बच्चे	माता या पिता	माता+पिता
1	0-35												
2	36-45												
3	46-55												
4	56-60												

बीमा राशि रूपये 4,00,000/- स्वास्थ्य बीमा एवं रूपये 10,00,000/-व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चार्ट (@ 18% जी एस टी.)								
क्र.	आयु	मूल प्रीमियम स्वाथ्य बीमा बीमित राशि रू 400000 हेतु	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमित राशि रू 1000000 हेतु	कुल प्रीमियम स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (केवल पत्रकारों हेतु)	25% प्रीमियम पत्रकार की ओर से	85% प्रीमियम और सरकार की ओर से बीमा कंपनी द्वारा बढ़ाया गया प्रीमियम दिया जायेगा	स्वयं	स्वयं पति/पत्नि
1	61-70							
2	70-							

बीमा राशि रूपये 2,00,000/- स्वास्थ्य बीमा एवं रूपये 5,00,000/-व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चार्ट (@ 18% जी एस टी.)													
क्र.	आयु	मूल प्रीमियम स्वाथ्य बीमा बीमित राशि रू 400000 हेतु	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमित राशि रू 1000000 हेतु	कुल प्रीमियम स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (केवल पत्रकारों हेतु)	25% प्रीमियम पत्रकार की ओर से	75% प्रीमियम और सरकार की ओर से बीमा कंपनी द्वारा बढ़ाया गया प्रीमियम दिया जायेगा	स्वयं	स्वयं पति/पत्नि	स्वयं पति/पत्नि + एक बच्चा	स्वयं पति/पत्नि + दो बच्चे	स्वयं पति/पत्नि तीन + बच्चे	माता या पिता	माता+पिता
1	0-35												
2	36-45												
3	46-55												
4	56-60												

बीमा राशि रूपये 2,00,000/- स्वास्थ्य बीम एवं रूपये 5,00,000/-व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चार्ट (@ 18% जी एस टी.)								
क्र.	आयु	मूल प्रीमियम स्वाथ्य बीमा बीमित राशि रू 400000 हेतु	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमित राशि रू 1000000 हेतु	कुल प्रीमियम स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (केवल पत्रकारों हेतु)	25% प्रीमियम पत्रकार की ओर से	85% प्रीमियम और सरकार की ओर से बीमा कंपनी द्वारा बढ़ाया गया प्रीमियम दिया जायेगा	स्वयं	स्वयं पति/पत्नि
1	61-70							
2	70-							

मध्यप्रदेश शासन
जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

भोपाल, दिनांक /08/2018

कमांक एफ 11-11/2018/जस/24 राज्य शासन एतद् द्वारा पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में गैर अधिमान्य पत्रकारों को शामिल कर, योजना में लगने वाली प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत शासन द्वारा दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है। इस योजना के लिए साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्रों और मासिक पत्र-पत्रिकाओं के दो-दो तथा दैनिक समाचार पत्रों के चार गैर अधिमान्य पत्रकारों को पात्र माना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0 एच0एल0 चौधरी)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

पृ0क0एफ 11-11/2018/जस/24 दिनांक 9 /8/2018

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव मान0 मंत्री जी जनसंपर्क विभाग भोपाल।
4. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कमिश्नर/ कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. नियंत्रक, शासकीय प्रेस, मैदा मिल, भोपाल।
7. कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार, विश्वविद्यालय, भोपाल।
8. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल/ जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल।
9. स्टाफ फाईल।

29/8

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

// आदेश //

भोपाल, दिनांक /09/2018

क्रमांक एफ 05-22/2018/जस/24 राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश में पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में कैशलेस इलाज की राशि की सीमा रूपये 02.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 04.00 लाख किया जाता है। इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के मूल निवासी पत्रकार जो नई दिल्ली में कार्यरत है, उन्हे भी प्राप्त होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Commissioner, Public Relations

(डॉ0 एच0एल0 चौधरी)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

Director, Public Relations

पृ0क0एफ 05-22/2018/जस/24 दिनांक 27/09/2018

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव मान0 मंत्री जी जनसंपर्क विभाग भोपाल।
4. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कमिश्नर/ कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. नियंत्रक, शासकीय प्रेस, मैदा मिल, भोपाल।
7. कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार, विश्वविद्यालय, भोपाल।
8. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल/ जिला कोषालय अधिकारी भोपाल।
9. स्टाफ फाईल।.

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल--462004

--:आदेश:--

भोपाल, दिनाक   / जून / 2015

क्रमाक एफ 5-3/2015/ज.स/24: राज्य शासन जनसम्पर्क विभाग के मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के लिये निम्नानुसार नियम बनाता है :-

1. **नाम** – यह नियम मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा नियम--2014 कहलायेगें ।

2. **परिभाषाएं** – विषय और संदर्भ से यदि अन्य अर्थ न निकलता हो तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही है जो उनके सामने दर्शाया जा रहा है ।

2.1 **शासन**– का अर्थ मध्यप्रदेश शासन ।

2.2 **आयुक्त / संचालक**– का अर्थ है आयुक्त / संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश

2.3 **प्रतिनिधि**– का अर्थ है कोई संचार प्रतिनिधि (पत्रकार / संवाददाता / फोटोग्राफर / कैमरामैन) जो किसी अशासकीय समाचार एजेंसी, टेलीविजन चैनल, नेट मीडिया, समाचार पोर्टल आदि का प्रतिनिधित्व करता हो ।

2.4 **नियम का क्षेत्र**– मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा नियम उन सभी संचार प्रतिनिधियों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश में निवास करते है और जिनका कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश है । संचार प्रतिनिधि का निवास बीमा के आवेदन-पत्र में उल्लेखित कार्यस्थल / पदस्थापना के स्थान पर होना आवश्यक है ।

3. **बीमा** – का अर्थ है, वह अनुबंध जो निर्धारित अवधि के लिये चिकित्सा सुविधा अथवा स्थायी अपंगता / अशक्तता होने पर बीमित व्यक्ति को देय लाभ के लिये किया गया है ।

3.1 **बीमा की राशि**– संचार प्रतिनिधि का व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा रूपये दो लाख और दुर्घटना बीमा रूपये पाच लाख का होगा, यह बीमा भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपकम की बीमा कम्पनी से कराया जायेगा ।

3.2 **बीमा की अवधि**– मध्यप्रेश संचार प्रतिनिधि व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की अवधि एक वर्ष होगी, संचार प्रतिनिधि को बीमा अवधि पूर्ण होने के पूर्व नये वर्ष के लिये बीमा कराने के लिये समस्त वाछनीय कार्यवाही पूर्ण करानी होगी ।

निरंतर ... 2

3.3 **बीमा की प्रभावशीलता**– संचार प्रतिनिधि द्वारा अशदान की राशि जमा करने का अर्थ बीमा होना नहीं होगा, संचालनालय द्वारा पूर्ण कार्यवाही करने के पश्चात् बीमा कम्पनी द्वारा बीमा होने के संबंध में जारी अनुबंध के दिनांक से बीमा लागू होना माना जायेगा ।

3.4 **बीमा की अवधि**– बीमा के लिए निर्धारित 70 वर्ष तक लगातार बीमा योजना मे सम्मिलित पत्रकार के लिए पॉलिसी का नवीनीकरण सीमित सदस्य जब तक चाहेगा, तब तक किया जा सकेगा ।

3.5 **बीमा की किश्त**– संचार प्रतिनिधि को प्रत्येक वर्ष बीमा कम्पनी द्वारा रुपये दो लाख के स्वास्थ्य एवं पांच लाख के दुर्घटना बीमा के लिये निर्धारित वार्षिक (प्रीमियम) की पच्चीस प्रतिशत राशि बीमा कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट कार्यालय में अथवा आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश के नाम यथा सूचित तिथि तक जमा करना आवश्यक होगा । 60 वर्ष तक की आयु के पत्रकारों के लिए निर्धारित वार्षिक किश्त (प्रीमियम) का पचहत्तर प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष की आयु के पत्रकारों के लिए 85 प्रतिशत अंशदान जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जमा कराया जायेगा। 75 वर्ष के पश्चात् लगातार समूह बीमा योजना मे शामिल वरिष्ठ पत्रकार को प्रीमियम की पूरी राशि देने के सम्बन्ध में आयुक्त जनसंपर्क निर्णय ले सकेंगे । युनाइटेड इंडिया इंश्युरेंस कम्पनी की प्रीमियम दर आयु समूहवार सलग्न सूची के अनुसार होगी ।

3.6 **बीमा की पात्रता**– मध्यप्रदेश के ऐसे संचार प्रतिनिधि, जिनकी आयु 21 से 70 वर्ष के मध्य है । मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की सदस्यता के लिये पात्र होंगे ।

3.7 **परिवार**– पति/पत्नि अथवा बच्चों को अतिरिक्त निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना मे शामिल किया जा सकता है ।

3.8 **नामांकिती**– बीमित संचार प्रतिनिधि को बीमा कम्पनी से क्लेम प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र मे नामांकिती (नामिनी) घोषित करना आवश्यक होगा ।

3.9 **दुर्घटना की सूचना**– तत्काल अधिकतम सात दिवस के भीतर बीमा करने वाली कम्पनी के जिला कार्यालय को सूचित करना आवश्यक होगा ।

3.10 **दावा**– बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके नामांकिती सदस्य अथवा स्थायी अपंगता/अशक्तता होने पर स्वयं बीमाधारक को (1) दावा (क्लेम) के लिये निर्धारित प्रपत्र मे सूचना (2) पुलिस मे दर्ज कराई गई एफ.आई.आर की प्रति (3) यथा आवश्यक पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड का प्रमाण–पत्र (4) मृत्यु प्रमाण पत्र और (5) नामांकिती सदस्य का प्रमाण बीमा करने वाली कम्पनी के कार्यालय में निर्दिष्ट समयावधि मे जमा कराने होगें ।

4. **अर्हताऐं**– मध्यप्रदेश के संचार प्रतिनिधि को व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का सदस्य बनने के लिये निम्नानुसार अर्हताएं पूर्ण करना आवश्यक होगा:–

4.1 बीमा के लिये जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिस्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है ।

4.2 बिना अधिस्वीकृति प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों के लिए आवश्यक होगा कि पी.एफ. फण्ड अथवा टेक्स कटौती का फार्म नम्बर–16 संलग्न करने पर ही मान्य होगा ।

5. स्वास्थ्य एवं दुंर्घटना समूह बीमा योजना के सदस्य बनने के इच्छुक पत्रकार/संवाददाता को वांछित अर्हताएं प्रमाण सहित निर्धारित प्रपत्र में विभागीय मुख्यालय में संभागीय जनसंपर्क कार्यालय एवं जिला के संवाददाता/पत्रकारों द्वारा जिला जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से निर्दिष्ट तिथि तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । बीमा कम्पनी के निर्धारित कार्यालयों में भी बीमे का प्रस्ताव पत्र प्राप्त और जमा किए जा सकते है ।

6. बीमा योजना का सदस्य बनने के लिये कार्यवाही जनसंपर्क संचालनालय द्वारा प्रत्येक वर्ष में केवल एक बार निर्धारित अवधि में की जायेगी ।

7. बीमा योजना का बीमा कम्पनी से अनुबंध करने का अधिकार आयुक्त/संचालक जनसंपर्क को होगा ।

8. बीमा नियमों में तथा आवश्यक संशोधन राज्य शासन द्वारा किये जा सकेगें ।

9. राज्य शासन को उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सेवा के संचार प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योना में सम्मिलित करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

10. बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में 2 लाख तक चिकित्सा की कैशलेस व्यवस्था होगी । पत्रकारों को एक कार्ड दिया जाएगा । इसके आधार पर चिन्हित अस्पताल में इलाज होगा । अन्य अस्पतालों में इलाज पर प्रतिपूर्ति की व्यवस्था रहेगी ।

11. इस योजना मे कोई एजेंट नहीं होगा । कोई कमीशन देय नहीं होगा । यह पालिसी सीधे बीमा कार्यालय से क्रियान्वित होगी ।

12. बीमें के अन्तर्गत बीमा तिथि से पूर्व की सभी बीमारियों को कवर किया जाएगा ।

13. पत्रकारों को बीमें का अधिकाधिक लाभ दिलाने के लिए बीमा कम्पनी से बीमा कराने, प्रीमियम जमा करने की सरल प्रक्रिया लागू की जाएगी । पालिसी सफलतापूर्वक क्रियान्वित होने पर पत्रकार कल्याण से चिकित्सा सहायता राशि की व्यवस्था की उपयोगिता पर विचार कर कार्यवाई की जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0 भूपेन्द्र गौतम)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ 5–3/2015/ज.स/24 भोपाल, दिनांक 26 /जून/2015

प्रतिलिपि :–

01. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
03. प्रमुख सचिव,(समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल ।
04. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल ।
05. समस्त कमिश्नर एवं कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
06 कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल।
07. आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय, भोपाल(म0प्र0) ।
08. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल ।
09. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी जनसंपर्क विभाग, भोपाल ।
10. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल ।
11 स्टाक फाईल ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग